Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 76-2017/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 4, 2017 (VAISAKHA 13, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th May, 2017

No. 25-HLA of 2017.— YMCA University of Science and Technology, Faridabad (Amendment) Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 25- HLA of 2017

YMCA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, FARIDABAD (AMENDMENT) BILL, 2017

A

BILL

further to amend the YMCA University of Science and Technology, Faridabad Act, 2009.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called YMCA University of Science and Technology, Faridabad (Amendment) Act, 2017.

Amendment of section 2 of Haryana Act 21 of 2009.

2. In section 2 of the YMCA University of Science and Technology, Faridabad Act, 2009 (hereinafter called the principal Act),–

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: –

‘(b) “college” means a college maintained by, or admitted to the privileges of the University;’;

(ii) for clauses (h) and (i), the following clauses shall be substituted, namely: –

‘(h) “institution” means an academic institution, not being a college, maintained by, or admitted to the privileges of the University;

(i) "regional centre" means a regional centre maintained by, or admitted to the privileges of the University;';

(iii) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-

'(k) "recognized teachers" means such persons as are approved by the University for the purpose of imparting instructions in the college, institution or regional centre admitted to the privileges of the University;'.

Insertion of section 3A in Haryana Act 21 of 2009.

3. After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"3A. Territorial exercise of powers.- (1) The limits of the area within which the University shall exercise its powers shall be such, as the Government may, from time to time, by notification specify:

Provided that different areas may be specified for different faculties.

(2) Any college to be opened in the territorial limits of the University as mentioned under sub-section (1), shall have to get affiliated to this University.

(3) Notwithstanding anything contained in any State law for the time being in force, any college, institution or regional centre situated within the limits of the area specified under sub-section (1) shall, with effect from such date, as may be notified in this behalf by the Government, be deemed to be associated with, and admitted to, the privileges of the University and shall cease to be associated in any way with, or be admitted to, any privileges of any other university and different dates may be notified for different colleges:

Provided that–

(i) any student of any college, institution or regional centre, associated with, or admitted to, the other university before the said date, who was studying for any degree or diploma examination of that university, shall be permitted to complete his course in preparation thereof and the University shall hold for such students, examinations in accordance with the curricula of study in force in that university for such period, as may be prescribed by the Statutes, Ordinances or Regulations;

(ii) any such student may, until any such examination is held by the University, be admitted to the examination of the other university and be conferred the degree, diploma or any other privilege of that university for which he qualified on the result of such examination.".

Amendment of section 5 of Haryana Act 21 of 2009.

4. In section 5 of the principal Act,-

(i) in clause (t), for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and

(ii) after clause (t), the following clauses shall be added, namely:-

"(u) to maintain institutions, colleges and regional centers established by the University and to admit to its privileges, colleges, institutions and regional centers in the area specified under sub-section (1) of section 3A and to disaffiliate colleges, institutions or regional centers, if they are not being run as per provisions of the Act, Statutes or Ordinances contained therein;

(v) to declare a college, institution, regional center or a department as an autonomous college, institution or regional centre or a department, as the case may be.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The YMCA University of Science and Technology, Faridabad was established by an Act of Legislature of the State of Haryana (Act 21 of 2009) by upgrading erstwhile the YMCA Institute of Engineering, Faridabad to facilitate and promote studies and research in emergent areas of higher education with a focus on new frontiers of science, engineering & technology, management Studies, non-conventional energy resources and environmental studies, and also to achieve excellence in these and connected fields.

Before the University came into being, it was started in 1969 as an Indo-German project with an aim to impart technical education and starting & offering diploma courses with an intake of 120 students. The Haryana Govt. provided 20 acres of land for construction of teaching block, hostels and residential campus. The State Govt. started funding 100% grant-in-aid w.e.f. 1994 onwards and subsequently took it over in 1998. The YMCA started offering B.Tech courses from the session 1996 - 97 with an annual intake of 240 students. Subsequently, more Undergraduate and Postgraduate courses were added in several installments. At present, it is offering 21 courses, namely six undergraduate, seven postgraduate and eight M.Tech courses in the disciplines of science, engineering & technology, management, environmental etc, besides PhD programmes in various disciplines.

The University is strategically located in the National Capital Region (NCR) on the Delhi-Mathura National Highway. It has acquired a strong base of core disciplines with highly-qualified faculty. It has been accredited recently by the National Assessments and Accreditation Council (NAAC) and awarded "***A grade***". Further, it has been **ranked no. 1** among State Govt. Engineering Institutions by National Institutions Ranking Framework (**NIRF**) in **2017**. Today, it stands tall having built for itself an enviable reputation which few can match. Moving towards establishing itself as an acclaimed leader in technical education, this University can act as a catalyst for up-gradation and improvement in technical education by being a teaching-cum-affiliating University.

The proposed legislation seeks to amend The YMCA University of Science and Technology Faridabad Act, 2009 to provide for provisions related to territorial limits of the University with respect to affiliation of various Institutions/Colleges, and to amend the Act accordingly.

RAM BILAS SHARMA,
Technical Education Minister,
Haryana.

Chandigarh :
The 4th May, 2017.

R. K. NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2017 का विधेयक संख्या–25 एच०एल०ए०

वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (संशोधन) विधेयक, 2017

वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद अधिनियम, 2009, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद (संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

2009 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 2 का संशोधन।

2. वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद अधिनियम, 2009 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(ख) ''महाविद्यालय'' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित या से अनुमति प्राप्त कोई महाविद्यालय;';

(ii) खण्ड (ज) और (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

'(ज) ''संस्था'' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित, या से अनुमति प्राप्त महाविद्यालय न होते हुए, कोई शैक्षणिक संस्था;

(झ) ''क्षेत्रीय केन्द्र'' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा अनुरक्षित या से अनुमति प्राप्त कोई क्षेत्रीय केन्द्र ;';

(iii) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(ट) ''मान्यताप्राप्त अध्यापक'' से अभिप्राय है, ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किए गए हैं;'।

2009 के हरियाणा अधिनियम 21 में धारा 3क का रखा जाना।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''3क. शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग.– (1) क्षेत्र की सीमायें जिनके भीतर विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा ऐसी होंगी, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करेः

परन्तु भिन्न–भिन्न संकायों के लिए भिन्न–भिन्न क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन यथावर्णित विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सीमाओं में खोले जाने वाला कोई महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय से सहबद्ध करवाना होगा।

(3) उस समय लागू किसी राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित कोई महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाये, से विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से सहयुक्त तथा अनुमति प्राप्त समझा जायेगा तथा वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य विश्वविद्यालय के किन्हीं विशेषाधिकारों से सहयुक्त या अनुमति प्राप्त नहीं रहेगा तथा भिन्न–भिन्न महाविद्यालयों के लिये भिन्न–भिन्न तिथियां अधिसूचित की जा सकती हैंः

परन्तु–

(i) उक्त तिथि से पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से सहयुक्त या अनुमति प्राप्त किसी महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र का कोई विद्यार्थी, जो उस विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या उपाधि–पत्र परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था, उसकी

तैयारी के संबंध में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिये, उस विश्वविद्यालय में लागू अध्ययन के पाठ्यचर्या के अनुसार, ऐसी अवधि, जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित की जाए, के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा;

(ii) कोई ऐसा विद्यार्थी, जब तक कोई ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं की जाती है, अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है और उसे उस विश्वविद्यालय की ऐसी उपाधि, उपाधि–पत्र या कोई अन्य विशेषाधिकार प्रदत्त किया जा सकता है, जिसके लिए वह ऐसी परीक्षा के परिणाम पर अर्हता प्राप्त करता है।''।

2009 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(i) खण्ड (न) में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(ii) खण्ड (न) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :–

''(प) धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थाओं, महाविद्यालयों और क्षेत्रीय केन्द्रों तथा इसके विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों, संस्थाओं और क्षेत्रीय केन्द्रों को अनुरक्षित करना और महाविद्यालयों, संस्थाओं या क्षेत्रीय केन्द्रों को असम्बद्ध करना, यदि वे अधिनियम, उसमें दिए गए परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाए जा रहे हैं;

(फ) किसी महाविद्यालय, संस्था, क्षेत्रीय केन्द्र या किसी विभाग को किसी स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में घोषित करना।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद राज्य के विधान मंडल के एक अधिनियम (2009 का अधिनियम 21) द्वारा स्थापित किया गया था, जो पूर्व वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद को अपग्रेड करके हरियाणा राज्य में उच्च शिक्षा के विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन और पर्यावरण अध्ययन क्षेत्रों में अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।

विश्वविद्यालय बनने से पहले यह संस्थान 1969 में इंडो–जर्मन परियोजना के रूप में तकनीकी शिक्षा तथा 120 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। हरियाणा सरकार ने शिक्षण ब्लॉक, छात्रावासों और आवासीय परिसर के निर्माण के लिए इसे 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई थी। राज्य सरकार ने 1994 से इस संस्थान को 100 प्रतिशत अनुदान देना प्रारम्भ किया और बाद में 1998 में इसे अधिग्रहण कर लिया। इस संस्थान ने 1996–97 से 240 छात्रों की वार्षिक क्षमता के साथ बीटेक पाठ्यक्रम आरम्भ किया। इसके बाद अन्य यू0जी0 व पी0जी0 पाठ्यक्रम भी शुरू किये गये। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, पर्यावरण आदि विषयों में 21 पाठ्यक्रम जिनमें 06 स्नातक, 07 स्नातकोत्तर और 08 एम0टैक पाठ्यक्रम शामिल हैं, प्रदान कर रहा है। इसके अलावा विभिन्न विषयों में पी0एच0डी0 कार्यक्रम भी करवाये जा रहें हैं।

यह विश्वविद्यालय दिल्ली–मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित है । इस विश्वविद्यालय ने योग्य प्राध्यापकों के साथ कोर विषयों में एक मजबूत आधार हासिल कर लिया है। हाल ही में राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने इस विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की है और इसे **ए ग्रेड** से सम्मानित किया है। इसके अलावा 2017 में राष्ट्रीय संस्थान रैकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) ने इस संस्थान को राजकीय इंजीनियरिंग संस्थानों में **नम्बर 01** का स्थान दिया है। आज यह विश्वविद्यालय अपनी प्रतिष्ठा बनाकर गर्व के साथ खड़ा है। यह विश्वविद्यालय एक शिक्षण एवं सह सम्बन्ध विश्वविद्यालय बनकर तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है।

प्रस्तावित कानून विभिन्न संस्थानों/कॉलेजों की सम्बन्द्धता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा से सम्बन्धित प्रावधानों को प्रदान करने के लिए वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद अधिनियम, 2009 में संशोधन करना चाहता है और इसके अनुसार अधिनियम में संशोधन करना है।

राम बिलास शर्मा,
तकनीकी शिक्षा मन्त्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 मई, 2017.

आर० के० नांदल,
सचिव।